



मध्यप्रदेश
लघु उद्योग
निगम लि.



(म.प्र. शासन का उपक्रम)

क्रमांक : लउनि/विप/पीएस-12/2015-16/70

भोपाल, दिनांक : 28/9/15

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
समस्त प्रबंध संचालक, निगम/मण्डल/बोर्ड,
समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDOs),
मध्यप्रदेश

विषय:-भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 के नियम-7 के तहत म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से सामग्री क्रय हेतु ऑनलाईन क्रयादेश (इण्डेंट) तथा ऑनलाईन प्रदाय आदेश (सप्लाइ आर्डर) बावत।

संदर्भ:-वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग का पत्र क्रमांक एफ 6-14/2012/अ-ग्यारह दिनांक 10.09.15

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 के नियम-7 के अन्तर्गत निगम के माध्यम से सामग्री के क्रय के संबंध में ऑनलाईन क्रयादेश (इण्डेंट) तथा ऑनलाईन प्रदाय आदेश (सप्लाइ आर्डर) जारी करने बावत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। शासन द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में ऑनलाईन क्रयादेश (इण्डेंट) एवं ऑनलाईन प्रदाय आदेश (सप्लाइ आर्डर) जारी करने की प्रणाली का क्रियान्वयन निगम द्वारा दिनांक 01.10.15 से प्रारम्भ किया जा रहा है। इस प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु विभाग स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है :-

1. ऑनलाईन क्रयादेश (इण्डेंट) तथा ऑनलाईन प्रदाय आदेश (सप्लाइ आर्डर) जारी करने हेतु सर्वप्रथम क्रयकर्ता अधिकारी/क्रयकर्ता विभाग को यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त किया जाना है। यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने हेतु विभाग/DDO को आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर उक्त प्रपत्र की एक प्रति स्केन कर mplun@c1india.com अथवा mplunbpl@yahoo.com पर ई-मेल की जाना है। प्रपत्र की प्रति त्वरित संदर्भ हेतु संलग्न है।
2. यह प्रपत्र निगम के ई-पोर्टल <https://mpeprocurement.com> पर भी उपलब्ध है। प्रपत्र की प्रति पोर्टल से भी डाउनलोड की जाकर पूर्णतः भरकर उपरोक्त उल्लेखित ई-मेल पते पर प्रेषित की जा सकती है।

निरंतर-2

3. क्रयकर्ता विभाग/क्रयकर्ता DDO से पूर्णतः भरे हुए प्रपत्र ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होने के उपरांत तत्काल निगम द्वारा विभाग का यूजर आईडी एवं पासवर्ड एक्टिवेट कर ई-मेल से सूचित किया जावेगा।
4. प्रत्येक क्रयकर्ता विभाग/क्रयकर्ता DDO से क्रयादेश तथा प्रदाय आदेश जारी करने हेतु संबंधित अधिकारियों/DDOs को डिजिटल सिग्नेचर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। अर्थात् सभी क्रयकर्ता संस्थाओं/DDOs को स्वयं डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना अनिवार्य है। डिजिटल सिग्नेचर न्यूनतम क्लास-2 अथवा क्लास-2 b का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर के संबंध में अधिक जानकारी www.cca.gov.in पर उपलब्ध है।

यदि आपके विभाग द्वारा यूजर आईडी/पासवर्ड हेतु अभी तक जानकारी प्रेषित नहीं की गई है तो संलग्न प्रपत्र को पूर्णतः भरकर तत्काल ई-मेल करने का निवेदन है, जिससे कि यूजर आईडी/पासवर्ड जारी किया जाकर उसको एक्टिवेट किया जाना संभव हो सके।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

महामुद्रबन्धक (विपणन)



MADHYA PRADESH LAGHU UDYOG NIGM LIMITED

(M. P. Government Undertaking)

1st Floor, Panchanan Bhawan, Malviya Nagar, Bhopal, M.P.

Phone: - 0755 - 2673141, 2673146, Fax: - 0755 - 2673140

Website: - <https://mpeprocurement.com>

Request Form, to Issue New Indenter/Department Code, for sending Online Indents.

| | |
|---|--|
| 1) Department Name | |
| 2) Indenting Office Name 2/2A BCO/DDO Code | |
| 3) Location | |
| 4) Address | |
| 5) Contact Number | |
| 6) Official E-Mail ID | |

Details of Authorized Person: -

Signature & Date: _____

Name of Concern Person: _____

Designation: _____

Office Seal/ Stamp: _____

Note: - Send the scan file of complete form via e-mail, at mplunbpl@yahoo.com / mplun@cindia.com or via Fax, number **0755 - 2673140**, to get new indenter code and password, for log-in and sending indents online to MPLUN. MPLUN will have right to reject the form in-case of any factual error found.